राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 25/03/2021 को संपन्न 364वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री धीरेन्द्र शर्मा द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई। समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों, औद्योगिक परियोजना एवं कन्सट्रक्शन परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. **मैसर्स महावीर कंस्ट्रक्सन कंपनी (पार्टनर– श्री प्रशांत बोहरा), ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1282)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 147648/2020, दिनांक 02/04/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 12/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 431/1, 2, 432/1, 2, 3, 433/1(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.96 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री संजय कुमार संचेती (सालिक झिटिया फ्लेग स्टोन / लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–सालिक झिटिया, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1246)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 147636/2020, दिनांक 09/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन/चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सालिक झिटिया, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 64/1, कुल क्षेत्रफल–0.894 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–7,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिरीश कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री जय अम्बे ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज मारगांव–2 आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार जैन), ग्राम–मारगांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1293)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152476/2020, दिनांक 04/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मारगांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 442, कुल क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,400 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी

आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/01/2021 एवं 28/01/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/01/2021, 28/01/2021 एवं 12/02/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री जय अम्बे ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज मारगांव आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार जैन), ग्राम–मारगांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1290)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152430/2020, दिनांक 02/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मारगांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 442, कुल क्षेत्रफल–4.43 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,990 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण --

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:--**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/01/2021 एवं 28/01/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/01/2021, 28/01/2021 एवं 12/02/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री दामोदर दास भूतड़ा (बीजामांठा आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम–बीजामांठा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1291)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 152437/2020, दिनांक 02/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बीजाभांठा, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 32, कुल क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–16,720 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को

आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/01/2021 एवं 28/01/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/01/2021, 28/01/2021 एवं 12/02/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग (अपर सिकासार रिजर्वायर प्रोजेक्ट), ग्राम–फरसरा, तहसील–मैनपुर, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1499)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आरआईवी /189552/2020, दिनांक 27/12/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रिव्हर वेली परियोजना है। परियोजना ग्राम–फरसरा, तहसील–मैनपुर, जिला–गरियाबंद, कुल कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 2,000 हेक्टेयर में प्रस्तावित है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसेः– मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. उक्त क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. प्रस्तावित परियोजना में उपयोग होने वाले भूमि (वन, राजस्व, निजी स्वामित्व, बंजर आदि) संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 02/02/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री मनोज कुमार जैन (डुमरडीहकला लाईम स्टोन माईन), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1280)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 150765/2020, दिनांक 01/04/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 35/2, कुल क्षेत्रफल–0.688 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–7,950 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में

की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/02/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/01/2021 एवं 12/02/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री मनोज कुमार जैन (डुमरडीहकला लाईम स्टोन माईन), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1265)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 149330/2020, दिनांक 17/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 20 एवं 22, कुल क्षेत्रफल–1.821 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,125 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. खदान पूर्व से संचालित है, विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/02/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/01/2021 एवं 12/02/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा व मोहभट्ठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1373)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 169019 2020, दिनांक 20/08/2020। परियोजना प्रस्तावक के प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु

निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बिल्हा व मोहभट्टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में प्रस्तावित सीमेंट ग्राईंडिग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 10 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों (यदि कोई हो) हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. ग्राउण्ड वाटर रिर्चाज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
4. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, रॉ–मटेरियल के परिवहन रुट एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत की जाए।
6. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8. सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तायक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित कुमार अग्रवाल एवं श्री निरेश कुमार अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. यह प्रस्तावित परियोजना एक सीमेंट ग्राईंडिंग यूनिट है, जो क्लींकर ग्राईंडिंग प्रोसेस पर आधारित होगी।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–बिल्हा 0.8 कि.मी. एवं शहर बिलासपुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन बिल्हा 0.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.3 कि.मी. दूर स्थित है। मनियारी नदी 8 कि.मी. की दूरी पर है।

   - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल एरिया 7.22 एकड़ है, जिसमें से प्लांट एरिया 1.91 एकड़, पार्किंग एरिया 0.91 एकड़, ग्रीन बेल्ट एरिया 2.98 एकड़, रोड एरिया 0.47 एकड़ एवं खुला क्षेत्र 0.95 में प्रस्तावित है।

4. **भू–स्वामित्व –** भूमि श्री आदित्य अग्रवाल के नाम पर है। उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए सहमति प्राप्त होना बताया गया।

5. **रॉ–मटेरियल–**

S. No.	Material	Quantity (TPD)	Mode of Transportation
		OPC	
1.	Clinker	950	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
		PPC	
1.	Clinker	600	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
3.	Flyash	350	Rail
		PSC	
1.	Clinker	500	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
3.	Slag	450	Rail

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पर्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30

मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन/फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। रॉ–मटेरियल्स स्टोरेज एरिया कव्हर्ड (ऊपर एवं साईड में) प्रस्तावित है। फ्लोर को पेव्हड किया जाएगा तथा स्टोरेज एरिया में कन्व्हेयर बेल्ट तथा ट्रकों के एंट्री की सुविधा रहेगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – ग्राइंडिंग यूनिट से ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में एकत्रित डस्ट को पुनःउपयोग कर लिया जायेगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था**–

- **जल खपत एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी** – परियोजना हेतु कन्सट्रक्शन फेज में 10 घनमीटर एवं ऑपरेशनल फेज में 25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन) जल खपत होगा। कन्सट्रक्शन फेज में जल टैंकर के माध्यम से लिया जायेगा तथा ऑपरेशनल फेज में स्त्रोत भू–जल होगा। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिए जाने बाबत् आवेदन किया गया है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। दूषित जल के उपचार हेतु 8 घनमीटर प्रतिवर्ष क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।
- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सैंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 7,722 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत हार्वेस्टिंग पिट निर्मित किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी गणना में त्रुटि है। अतः रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 2,500 मेगॉवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक विद्युत स्त्रोत हेतु डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित होना बताया गया है, जबकि डी.जी. सेट की क्षमता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत नहीं गई है।

10. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 2.98 एकड़ (41.27 प्रतिशत) में 3,025 नग वृक्षारोपण ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित

है। परिसर के चारों ओर न्यूनतम 7 मीटर चौड़ी पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जबकि कम से कम 10 मीटर किया जाना आवश्यक है।

11. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 100 प्रतिशत कच्चे पदार्थों का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग परिसर से लगी हुई स्वयं की भूमि से रेल्वे साइडिंग लगा हुआ है, जिसका उपयोग प्रस्तावित इकाई हेतु किया जाना है। रेल्वे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए सड़क का निर्माण किया जाएगा।

12. रॉ–मटेरियल्स का शत प्रतिशत परिवहन रेल मार्ग से किया जाना प्रस्तावित किया गया है। स्लेग एवं फ्लाई ऐश का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

13. रेल्वे साइडिंग एवं परिसर में लोडिंग एवं अनलोडिंग बिन्दुओं पर डस्ट सप्रेशन/फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
1000	2%	20	Following activities at Government Primary School **Village–Mohbhata** and Government High School **Village –Silha**	
			Rain Water Harvesting System	
			Plantation with fencing	
			Running Water Facility for Toilets	

उपरोक्त की विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही परियोजना की लागत भी कम दर्शित हो रही है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भूमि श्री आदित्य अग्रवाल के नाम पर है। उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए दी गई सहमति बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रॉ–मटेरियल्स यथा क्लिंकर, स्लेग, फ्लाई ऐश एवं जिप्सम की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता के साथ हुये एग्रीमेंट की प्रति, स्त्रोत एवं मात्रा के उल्लेख सहित विवरण प्रस्तुत किया जाए।
3. सभी रॉ–मटेरियल्स का शत प्रतिशत परिवहन रेल मार्ग से किये जाने हेतु मटेरियल बैलेंस के साथ विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. रेल्वे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये तथा रेल्वे साइडिंग परियोजना स्थल एवं प्रस्तावित सड़क को एक नक्शे में दर्शाया जाए।

5. रेल्वे साइडिंग एवं परिसर में लोडिंग एवं अनलोडिंग बिन्दुओं पर डस्ट सप्रेशन/फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. प्रस्तावित स्थल, पहुंचमार्ग, रेल्वे साइडिंग के क्षेत्र एवं रेल्वे स्टेशन की ओर कम से कम 15 मीटर चौड़ी पट्टी तथा शेष क्षेत्रों में कम से कम 10 मीटर चौड़ी पट्टी के विकास योजना को ले–आउट में दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की यूनिट्स को फ्लो चार्ट में दर्शित करते हुए विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।

8. वैकल्पिक विद्युत स्त्रोत हेतु डी.जी. सेट की क्षमता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. परियोजना स्थल, सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। भूमिगत जल के उपयोग के स्थान पर अन्य वैकल्पिक स्त्रोतों का अध्ययन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

10. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

11. परियोजना की वास्तविक लागत का विवरण प्रस्तुत करते हुए तदानुसार सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/12/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भूमि श्री आदित्य अग्रवाल के नाम पर है। प्रस्तावित कार्य के लिए सहमति बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. रॉ–मटेरियल्स यथा क्लिंकर, स्लेग, फ्लाई ऐश एवं जिप्सम की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता के साथ हुये एग्रीमेंट की प्रति, स्त्रोत एवं मात्रा के उल्लेख सहित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. सभी रॉ–मटेरियल्स का शत प्रतिशत परिवहन रेल मार्ग से किये जाने हेतु मटेरियल बैलेंस के साथ विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

4. रेल्वे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा रेल्वे साइडिंग परियोजना स्थल एवं प्रस्तावित सड़क को एक नक्शे में नहीं दर्शाया गया है।

5. रेल्वे साइडिंग एवं परिसर में लोडिंग एवं अनलोडिंग बिन्दुओं पर डस्ट सप्रेशन/फयूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर की स्थापना प्रस्तावित होना बताया गया है।

6. प्रस्तावित स्थल, पहुंचमार्ग, रेल्वे साइडिंग के क्षेत्र एवं रेल्वे स्टेशन की ओर कम से कम 15 मीटर चौड़ी हरित पट्टी तथा शेष क्षेत्रों में कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी की विकास योजना को ले–आउट में दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

7. प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की यूनिट्स को फ्लो चार्ट में दर्शित करते हुए विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार बार स्क्रीन, ईक्वीलाईजेशन टैंक, एम.एम.बी.आर. टैंक, प्रेशर सेण्ड फिल्टर, एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर, क्लोरिंग डोजिंग सिस्टम एवं स्लज ड्राईनिंग बेड की स्थापना प्रस्तावित है।

8. वैकल्पिक विद्युत स्त्रोत हेतु 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट की स्थापना प्रस्तावित होना बताया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 30 मीटर ऊंची चिमनी से गैसेस को प्रवाह किया जाएगा।

9. भूगिगत जल के उपयोग हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड में आवेदन किया जाना बताया गया है।

10. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें केवल रूफ टॉप जल के हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव किया गया है। जबकि गणना में परिसर के सम्पूर्ण जल की हार्वेस्टिंग किया जाना चाहिए।

11. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेल्वे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये तथा रेल्वे साइडिंग परियोजना स्थल एवं प्रस्तावित सड़क को एक नक्शे में दर्शाया जाए।
2. परिसर के सम्पूर्ण जल की हार्वेस्टिंग गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित कुमार अग्रवाल एवं श्री निरेश कुमार अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेल्वे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। साथ ही रेल्वे साइडिंग परियोजना स्थल एवं प्रस्तावित सड़क को एक नक्शे में दर्शाकर प्रस्तुत किया गया है।

2. उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 15,619 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 13 नग रिचार्ज पिट (व्यास 2.5 मीटर, गहराई 2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

3. संशोधित रॉ–मटेरियल का विवरण –

S.No.	Material	Quantity (TPD)	Mode of Transportation
		OPC	
1.	Clinker	970 (97%)	Rail
2.	Gypsum	30 (3%)	Rail
		PPC	
1.	Clinker	620 (62%)	Rail
2.	Gypsum	30 (3%)	Rail
3.	Flyash	350 (35%)	Conveyor belt through adjacent steel plant

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Crores)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Crores)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh)
10	2.0%	0.20	Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Mohbhatta**, Rain Water Harvesting Facilities, Rain Water Harvesting Facilities, Running Water Facility for Toilet, in Panchayat Building, Village-Mohbhatta & Solar Street Lighting in **Village-Mohbhatta**	**4.85**
			Total	**4.85**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Girls School, **Village-Bilha** & Rain Water Harvesting	**4.22**

			Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Bilha**	
			Total	**4.22**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. English Medium Middle School, **Village-Keshla**	**2.11**
			Total	**2.11**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Nipaniya**	**2.13**
			Total	**2.13**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Dagori**	**2.15**
			Total	**2.15**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Hirri &** Solar Street Lighting in **Village-Hirri**	**3.16**
			Total	**3.16**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Sanbhalpur**	**2.05**
			Total	**2.05**
			Grand Total	**20.67**

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित उद्योग में रेल्वे साईडिंग से 250 मीटर की दूरी पर है। रेल्वे साईडिंग से प्रस्तावित उद्योग स्थल तक ही रॉ–मटेरियल एवं उत्पाद का परिवहन सड़क मार्ग के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित उद्योग में 90 प्रतिशत से अधिक रॉ–मटेरियल एवं 100 प्रतिशत उत्पाद का परिवहन रेलमार्ग के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I)

दिनांक 24/12/2013 के अनुसार परियोजनाओं को 'बी2' केटेगरी में वर्गीकृत कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाए।

6. समिति द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किये जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार सीमेंट प्लांट्स हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किये गये हैं:–

"Category B2 – All stand-alone grinding units listed in the Schedule as Category 'B' subject to the condition that transportation of raw material and finished products shall be primarily* through Railways.

*transportation by railways should not be less than 90% of the traffic (inward and outward put together)."

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से 90 प्रतिशत कच्चे पदार्थों तथा उत्पाद का परिवहन रेल मार्ग से करने के आधार पर गाईडलाईन अनुसार 'बी2' केटेगरी में वर्गीकृत करते हुए ग्राम–बिल्हा व मोहभट्टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में प्रस्तावित सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (मारूति लाईफ स्टाईल टावर), ग्राम–कोटा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1305)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस / 153845/2020, दिनांक 21/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कोटा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/3, 158/2, 159 (162/1), 160/1, 162/2, 163/2, (168/2–3, 169/2–3, 163/3), 172/4, (173/4), एवं 174/4 (175/4), प्लॉट एरिया–1.07 हेक्टेयर में प्रस्तावित बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–25,727.57 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।

5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रियंक सिंघानिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन प्रस्तावित बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल– 25,727.57 वर्गमीटर का है, जिसमें त्रुटिवश बेसमेंट पार्किंग एरिया 5,266 वर्गमीटर का समावेश नहीं हुआ है। जबकि प्रस्तावित बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–30,993.57 वर्गमीटर (25,727.57 वर्गमीटर + 5,266 वर्गमीटर) है। सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अनुमोदित विकास अनुज्ञा में भी बेसमेंट पार्किंग एरिया 5,266 वर्गमीटर का उल्लेख है। अतः आवेदित प्रकरण पर प्रस्तावित बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–30,993.57 वर्गमीटर (25,727.57 वर्गमीटर + 5,266 वर्गमीटर) के पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के लिए अनुरोध किया गया।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम शहर रायपुर 5.3 कि.मी., रेलवे स्टेशन सरस्वती नगर 1.25 कि.मी. एवं ए.आई.आई.एम.एस. (AIIMS) रायपुर अस्पताल 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 14.75 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.7 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली

पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भू–स्वामित्व – भूमि मेसर्स अविनाश डेव्हलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S. No.	Particulars	Ground Coverage (In m^2)	Percentage (%)
1.	All Building Ground Coverage	2,782.00	29.28
2.	Internal Roads and Pathway	2,822.03	29.71
3.	Open Parking	1,065.97	11.22
4.	Open Area	1,683.44	17.72
5.	Plantation	1,146.56	12.07
Total		**9,500.00**	**100.00**

शेष क्षेत्रफल 1,200 वर्गमीटर को सबस्टेशन की स्थापना किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को दिया जाना प्रस्तावित है।

5. बिल्टअप एरिया संबंधी विवरण –

Particulars	Commercial	Block "A"		Block "B"	Block "C"	Block "D" (LIG)	Total
		---	LIG				
Ground Floor	372.42	---	---	---	---	---	372.42
1st Floor	436.4	574	—	574	569.73	304	2,458.13
2nd Floor	544	574	—	574	569.73	304	2,565.73
3rd Floor	544	574	—	574	569.73	304	2,565.73
4th Floor	544	574	—	574	569.73	304	2,565.73
5th Floor	544	574	---	574	569.73	304	2,565.73
6th Floor	—	574	—	574	569.73	304	2,021.73
7th Floor	—	574	—	574	569.73	304	2,021.73
8th Floor	—	574	—	574	569.73	—	1,717.73
9th Floor	—	574	—	574	569.73	—	1,717.73
10th Floor	---	574	—	574	569.73	---	1,717.73
11th Floor	—	447.56	114.64	574	569.73	—	1,705.93
12th Floor	—	457.55	114.64	574	585.33	---	1,731.52
Total	**2,984.82**	**6,645.11**	**229.28**	**6,888**	**6,852.36**	**2,128**	**25,727.57**

Basement Parking	—	---	---	---	---	—	**5,266**
Total	---	---	---	---	---	—	**30,993.57**

6. सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक / 46465 / नग्रानि / प्रिमि.एफएआर / पी.एल.65 / 18 / 2019 रायपुर, दिनांक 06 / 12 / 2019 अनुसार आवसीय (निगमित) प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं का उपयोग अनुमानित कुल 2,050 व्यक्तियों (आवासीय 940 व्यक्तियों एवं कॉमर्शियल 1,110 व्यक्तियों) द्वारा किया जाना बताया गया है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जाएगा।

10. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन –** निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों को भू–भराव हेतु उपयोग किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा। परियोजना से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु तीन कलर बिन / बैग पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 689.55 किलोग्राम प्रतिदिन (वेट अपशिष्ट 417.75 किलोग्राम प्रतिदिन एवं रिसाईक्लेबल अपशिष्ट 203.85 किलोग्राम प्रतिदिन एवं इनर्ट 67.95 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। एकत्रित अपशिष्ठ को अपवहन हेतु नगर निगम, रायपुर को उपलब्ध कराया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

    - **जल खपत एवं स्त्रोत –** परियोजना में कन्सट्रक्शन फेज 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 222 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर हेतु 98 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाइकल वॉटर हेतु 124 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति परियोजना हेतु नगर निगम, रायपुर से की जाएगी।

    - **जल प्रदूषण नियंत्रण –** दूषित जल की मात्रा 159.8 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 200 घनमीटर प्रतिदिन, स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस, इक्विलाइजेशन टैंक, एयर ब्लोअर, मूविंग बेड बायोरिएक्टर एण्ड ट्यूब सेटलर, क्लोरीन डोसिंग, क्लेरीफाईड वाटर स्टोरेज, मल्टी ग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर तथा ट्रिटेड वॉटर स्टोरेज आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 144 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। फ्लशिंग हेतु 72 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर क्लिनिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, वेहिक्ल वॉशिंग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, हार्टिकल्चर हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं एच.व्ही.ए.

सी. हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। शेष 20 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का निस्तारण ड्रेन में किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इकाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू–जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरुप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु भू–जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – कुल रनऑफ 5,018 घनमीटर होगा। उक्त रनऑफ को रिचार्ज करने हेतु 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। प्रत्येक बिल्डिंग/ब्लॉक में 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर एवं पार्किंग एरिया में 1 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसप्रकार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 11 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 2 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर) निर्मित किया जाएगा। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स मे समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 1,600 मेगावॉट की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 150 के.व्ही.ए. एवं 1 नग 100 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा, जिससे संलग्न चिमनी की ऊंचाई ग्राउण्ड लेवल से 3 मीटर (सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर) रखा जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – परियोजना हेतु 1,146.56 (12.07 प्रतिशत) वर्गमीटर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment

Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (Rs. In lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (Rs. In lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in lakh)
3500	2.0%	70	Following Activities at Nearby Govt. school Mahoba Bazar and Old age home	
			Rain Water Harvesting, Potable drinking water, Running water facility for Toilets, Plantation & Solar lighting System	70
			Total	**70**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/11/2020 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 347वीं बैठक दिनांक 11/11/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। भवन निर्माण अनुज्ञा का आवेदन नगर पालिक निगम, रायपुर में विचाराधीन होना बताया गया है। जिसमें 30 से 45 दिन का समय लगना संभावित है।
2. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किये जाने का प्रस्ताव किया गया है:–
   i. 13 स्कूलों तथा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के 5 विभागों के भवनों पर रूफ–टॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किये जाने हेतु रूपये 33.93/– लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

ii. 13 स्कूलों में आर.ओ. आधारित पीने योग्य पानी रूपये 28/– लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

iii. स्कूलों में पर्यावरणीय जन जागरूकता हेतु रूपये 1.5/– लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

iv. 6 स्कूलों में सोलर पैनल की व्यवस्था किये जाने हेतु रूपये 6.5/– लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार कुल रूपये 70/– लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

3. समिति का मत था कि रायपुर क्षेत्र के स्कूलों में सोलर पैनल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। स्कूलों में आर.ओ. आधारित पीने योग्य पानी का प्रस्ताव किया गया है जो कि उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार स्कूलों में प्रस्तावित रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की गणना केवल रूफ एरिया के आधार पर की गई है, जबकि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की गणना स्कूलों के पूर्ण क्षेत्रफल (रूफ एरिया एवं ओपन एरिया) को शामिल करते हुये किया जाना आवश्यक है। साथ ही स्कूल/कॉलेज के फोटोग्राफ्स एवं कार्य किये जाने की अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2020, 06/01/2021 एवं 03/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2021 को जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसमें Mahoba Bazar-From Railway under pass to Hotel Piccadilly, Tatibandh Mukti Dham and Kabir Nagar-Near Ekta Chowk क्षेत्रों में ऑक्सीजोन विकास, एवेन्यु वृक्षारोपण कार्य एवं रायपुर नगर निगम कार्यालय में 20 किलोवॉट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाये जाने का प्रस्ताव है। पूर्व में समिति के समक्ष प्रस्तुत सी.ई.आर. के प्रस्ताव से उक्त प्रस्ताव भिन्न है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश सिंघानिया, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तावित कार्यों में अनुमानित खर्च अत्यधिक बताई गई है। साथ ही प्रस्तावित कार्यों में वृक्षारोपण भी बहुत कम क्षेत्र में किया जाना बताया है। अतः उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर नवीन सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स स्व. बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अण्डर पी.एम.एस.एस.वाए., फेज-IV), ग्राम-डिमरापाल, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1403)

ऑनलाईन आवेदन- प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 174475/ 2020, दिनांक 26/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल (अण्डर पी.एम. एस.एस.वाए., फेज-IV) है। यह हॉस्पिटल ग्राम-डिमरापाल, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 81 एवं 82, प्लॉट एरिया-41,556.4 वर्गमीटर में प्रस्तावित बिल्टअप क्षेत्रफल 26,787.27 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 82 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।

5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सार्थक दानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम रेलवे स्टेशन जगदलपुर 7.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.3 कि.मी. दूर है। जगदलपुर एयरपोर्ट 9.7 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शासकीय भूमि रकबा 2.35 हेक्टेयर तथा शासकीय वन भूमि रकबा 2.25 हेक्टेयर है। प्रस्तावित सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Area Statement	Details (Square meter)	Percentage (%)
1.	Constructed Area (Ground Coverage)	4,232.76	10.19
2.	Open Area	9,260.93	22.27
3.	Parking Area	5,916	14.24
4.	Road and Paved Area	8,422	20.27
5.	Green Belt	13,724.71	33.03
6.	**Total Plot Area**	**41,556.4**	**100**

4. **फ्लोर संबंधी विवरण –**

Floor	FSI Area (Square meter)	Non - FSI Area (Square meter)
Basement	670.31	40.15
Ground Floor	2,483.86	354.74
First Floor	2,088.36	354.74
Second Floor	2,174.86	354.74
Third Floor	2,068.36	354.74
Fourth Floor	2,484.26	354.74
Fifth Floor	1,943.73	354.74
Sixth Floor	1,691.06	354.74
Seventh Floor	1,620.06	354.74
Eight Floor	1,620.06	354.74
Ninth Floor	1,620.06	354.74
Tenth Floor	1,620.06	354.74
Terrace	-	212.52
Service Block	-	567.42
Total	**22,065.04**	**4,722.23**
Total BUA (FSI+Non-FSI)	**26,787.27**	
Total Plot Area (At Actual)	**41,556.4**	

5. कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 633/न.ग्रा.नि./अभि./2019/2019 जगदलपुर, दिनांक 17/05/2019 द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तायक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र नगर निगम के कार्य क्षेत्र के बाहर होने के कारण भवन निर्माण की अनुमति कार्यालय कलेक्टर, जिला–जगदलपुर से प्राप्त की गई है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 518 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर 273 घनमीटर प्रतिदिन तथा रिसायकल वॉटर 245 घनमीटर प्रतिदिन) की आवश्यकता होगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल की मात्रा 270 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 300 घनमीटर प्रतिदिन एवं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित होना बताया गया। दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण (इकाईवार), उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

9. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 2,700 के.व्ही.ए. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2,700 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

10. **वृक्षारोपण की स्थिति** – परिसर के चारों ओर तथा पहुंच मार्ग में हरित पट्टिका का विकास क्षेत्रफल 13724.71 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 33.03 प्रतिशत) में किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ले–आउट के अनुसार परिसर के चारों न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के विकास का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

11. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर की स्थापना की जाएगी। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।

12. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु संभावित जल की मात्रा की गणना करते हुए पीटों की संख्या सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रकरण हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण का है। प्रस्तावित क्षेत्र से जगदलपुर एयरपोर्ट की हवाई दूरी लगभग 8 कि.मी. है। इस हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–I की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों/प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाये।

8. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 10/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तावित सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–I की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों/प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. से छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामबाबू, कार्यपालन अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तावित सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–I की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र में से शासकीय वन भूमि रकबा 2.25 हेक्टेयर को घटाकर 0.99 हेक्टेयर क्षेत्र किया गया है। शासकीय वन भूमि 0.99 हेक्टेयर के उपयोग हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 29/03/2019 द्वारा भूमि प्रदाय की गई है। अतः वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–I की आवश्यकता नहीं है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिक निगम, जगदलपुर के क्षेत्र से बाहर होने तथा प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग हेतु ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण भवन निर्माण अनुज्ञा कलेक्टर व अध्यक्ष, हाई राईज समिति, जिला–बस्तर का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 29/03/2019 द्वारा अस्पताल निर्माण हेतु 0.99 हेक्टेयर वन भूमि, पत्र जारी दिनांक से 1 वर्ष हेतु प्रदाय की गई थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र (पुनरीक्षित) को ले–आउट में प्रदर्शित करते हुए (खसरा आदि का उल्लेख करते हुए), न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स बरांजी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– कुसुम तुलसयान), ग्राम–बरांजी, तहसील–लोहांडीगुड़ा, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 705)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74535/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 50073/2018, दिनांक 25/01/2020 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरांजी, तहसील–लोहांडीगुड़ा, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 207/13, कुल क्षेत्रफल–1.619 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/03/2019 द्वारा उल्लघंन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 25/01/2020 को प्रस्तुत की गई है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन वांछित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/10/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 06/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/11/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय हेलिवाल, अधिकृति प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि तकनीकी सलाहकार उपस्थित नहीं होने के कारण प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। उक्त आवेदन को समिति की दिनांक 08/12/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी के साथ दिनांक 08/12/2020 को प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(इ) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2021 एवं 04/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/02/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(ई) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/10/2020, 06/11/2020, 07/12/2020 एवं 08/12/2020 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(उ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय हेलिवाल, अधिकृति प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत बड़ांजी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /बस्तर/चूप/खयो–1128/2017–रायपुर/919 रायपुर, दिनांक 05/01/2018 (अवधि 2017–18 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक 2009/खनिज/ख.लि.02/ख.प.04/94/2018 जगदलपुर, दिनांक 07/08/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 22.56 हेक्टेयर हैं।

4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – समीपस्थ आबादी ग्राम–बड़ाजी 0.75 कि.मी., स्कूल ग्राम–बड़ाजी में 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बड़ाजी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इंद्रावती नदी 1.15 कि.मी. दूर है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./147 जगदलपुर, दिनांक 07/01/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

7. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्रीमती कुसुम तुलसयान के नाम पर है। लीज डीड 50 वर्षों के लिए 06/01/1999 से 05/01/2049 तक की अवधि हेतु है।

8. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,78,162 टन एवं माईनेबल रिजर्व 55,088 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,120 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में भू–भाग के 1.34 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। बेंच की ऊंचाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1999	8,903	2009	5,957.65
2000	14,889	2010	13,112.7
2001	8,348.44	2011	2,633.55
2002	35,484	2012	5,977.9

2003	23,643	2013	8,451.183
2004	9,149	2014	6,209.903
2005	12,467	2015	3,125.45
2006	8,848	2016	18,419.67
2007	7,141	2017	2,784.756
2008	5,785.55		

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन ROM (टन)
2017–18	11,760
2018–19	11,760

9. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.95 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाए।

10. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 330 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) का वर्तमान में 0.138 हेक्टेयर क्षेत्र में रेस्टोरेशन (Restoration) किया गया है।

13. लोक सुनवाई के दौरान स्थानीय रहवासियों द्वारा लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर निवास स्थल होने तथा उत्खनन कार्य से आपत्ति होने का उल्लेख किये जाने के कारण उक्त दिशा में 30 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र (0.396 हेक्टेयर) को माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसके कारण माईनिंग प्लान में उत्पादन 12000 मीट्रिक टन/वर्ष से घटाकर 11760 मीट्रिक टन/वर्ष किया गया है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम$_{2.5}$ 21.14 से 33.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.38 से 63.98 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.54 से 13.52 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 9.82 से 19.62 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40.2 डीबीए से 48.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.4 डीबीए से 42.4 डीबीए पाया गया।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत दोनों विद्यालयों का अलग–अलग निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
32.7	2%	0.65	Following activities at Nearby 1. Government Primary School, **Village- Tralbhanta** 2. Government High School, **Village- Badanji**	
			Rain Water Harvesting System	1.20
			Potable Drinking Water Facility	0.80
			Running Water Facility	0.50
			Plantation with fencing	1.10
			Total	**3.60**

16. **लोक सुनवाई का विवरण** – लोक सुनवाई दिनांक 17/12/2019 दोपहर 12:00 बजे स्थान प्रेरणा हॉल (आस्था हॉल) जिला कार्यालय जगदलपुर जिला बस्तर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 06/02/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान क्षेत्र के पास 20 फीट की दूरी पर निवास स्थल है, जिससे घरों में धूल एवं ब्लास्टिंग का प्रभाव पड़ता है।

ii. स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. खान और खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार:– गौण खनिजों के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति – के तहत् छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 राज्य सरकार द्वारा निर्मित की गई है, के नियम 5(2)(ग) में किये गये प्रावधान अनुसार ग्रामीण कच्चे रास्ते से सभी दिशाओं में 10 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण मार्ग को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक स्थान से सभी दिशाओं में 50 मीटर के भीतर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति या उत्खनन पट्टा या उत्खनन

अनुज्ञा पत्र प्रदान करने पर निर्बंधन है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर निवास स्थल से दूरी रखे जाने हेतु उक्त दिशा में 30 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र (0.396 हेक्टेयर) को माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

ii. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उल्लंघन नहीं किए जाने के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

I. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology के अनुसार निम्न गणना होती है:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 21,204.428) / 12,000 = 442

Environment Compensation = 80x442x100x0.5x0.5 = Rs. 8,84,000/-

II. जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि रुपये 6,92,000 /– (Damage Cost) का प्रस्तुत किया गया है।

III. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 8,84,000/– रूपये निर्धारित की गई।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 8,84,000/– रूपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

3. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 8,84,000/– रूपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 758)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 197774/ 2021, दिनांक 11/02/2021।

मेसर्स माँ कुदरगरही पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को एम.एस. बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–3,16,800 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 20 टन) हेतु जारी टी. ओ.आर. में "मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड" से "मेसर्स माँ कुदरगरही पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड" नाम परिवर्तन एवं संशोधन बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/05/2019 द्वारा एम.एस. बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–3,16,800 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 20 टन) हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।

मेसर्स माँ कुदरगरही पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कम्पनीज बोर्ड रि–सॉल्युशन, कम्पनीज इन–कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. मेसर्स माँ कुदरगरही पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत भूमि दस्तावेज के अनुसार पूर्व में मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को जारी टी.ओ.आर. की भूमि से पूर्णतः भिन्न है।
2. मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर एक अन्य इकाई है, जो कि वर्तमान में स्थापित एवं संचालित नहीं है। अतः मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को जारी टी.ओ.आर. का मेसर्स माँ कुदरगरही पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड से कोई संबंध स्थापित नहीं होता है।

3. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जारी टी.ओ.आर. का नाम परिवर्तन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता है। मेसर्स माँ कुदरगरही पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड को टी.ओ.आर. हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक (मेसर्स माँ कुदरगरही पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड) द्वारा मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को जारी टी.ओ.आर. में नाम परिवर्तन एवं संशोधन बाबत् प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा (नंदिनी–खुंदिनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 70)

आवेदन – वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन का प्रकरण नहीं होने के संबंध में दिनांक 16/02/2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2017 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 102वीं बैठक दिनांक 21/10/2020 में श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा (नंदिनी–खुंदिनी लाईम स्टोन माईन) की ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1909(पी) में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1.92 हेक्टेयर, क्षमता – 40,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय एन.जी.टी., साउथर्न जोन, चेन्नई द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 136 ऑफ 2017 (एसजेड) को जारी पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती/ आदेश एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स श्रीमती साधना जायसवाल (बुढ़ाडांड ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट), ग्राम–बुढ़ाडांड, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1469)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 183875/2020, दिनांक 19/11/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–बुढ़ाडांड, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 530, कुल क्षेत्रफल – 1.05 हेक्टेयर में से 1 हक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,380 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सत्येन्द्र कुमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुढ़ाडांड का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन पृ.क्रमांक 3422–23/खनिज/खलि.2/2020, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 05/11/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 989/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/11/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 989/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/11/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 710/गौण खनिज/न.क्र. 01/2020–21 सूरजपुर, दिनांक 01/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक हैं।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री संतोषी प्रसाद जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1460 सूरजपुर, दिनांक 21/05/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्त्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बुढ़ाडांड एवं स्कूल ग्राम–बुढ़ाडांड 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। नाला 0.7 कि.मी. एवं बंकी नदी 10 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,380 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,661 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित

क्षेत्र) का क्षेत्रफल 814 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन की जाएगी। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की उंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 33 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग की जाएगी। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	600	5,40,000
द्वितीय	600	5,40,000
तृतीय	600	5,40,000
चर्तुथ	680	6,12,000
पंचम	680	6,12,000
षष्टम	680	6,12,000
सप्तम	810	7,29,000
अष्टम	810	7,29,000
नवम	920	8,28,000
दशम	920	8,28,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल से की जाएगी।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 204 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
24	2%	0.54	Following activities at Government Primary School, Village – Dhenki nala, Budhadand	
			Rain Water	0.60

			Harvesting System	
			Potable Drinking Water Facility	0.16
			Total	**0.76**

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 530 है, जबकि आवेदन में त्रुटिवश पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 350 का उल्लेख हो गया है। इसी प्रकार आवेदन में ईंट उत्पादन क्षमता – 920 घनमीटर (6,12,000 नग) प्रतिवर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि माईनिंग प्लान में उक्त का समावेश किया गया है। अतः आवेदन में पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 530, क्षमता – 920 घनमीटर (6,12,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ ऑनलाईन में प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में औसतन उत्पादन प्रतिवर्ष एवं अन्य जानकारियों में भिन्नता है। अतः वास्तविक अनुमोदित माईनिंग प्लान के पुष्टिकरण हेतु माईनिंग प्लान के प्रत्येक पृष्ठ में सक्षम प्राधिकारी (खनि अधिकारी) से हस्ताक्षर करा कर, अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 04/03/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन पृ.क्रमांक 414/खनिज/खलि.2/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 02/03/2021 द्वारा प्रत्येक पृष्ठ में इस्ताक्षर उपरांत प्रस्तुत किया गया है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 989/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 24/11/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बुढ़ाडांड) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्रीमती साधना जायसवाल (बुढ़ाडांड ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट) की ग्राम–बुढ़ाडांड, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 530 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, क्षमता – 920 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता – 6,12,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन), तहसील व जिला–जशपुर

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान ग्राम–आरा, तहसील व जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 1324/1, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर, साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–6,793.7 टन प्रतिवर्ष की है। लीज श्री अक्षय कुमार मिश्रा के नाम पर थी।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 10/11/2020 को मेसर्स श्री अक्षय कुमार मिश्रा (ग्राम–आरा, तहसील व जिला–जशपुर), तहसील व जिला–जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन), तहसील व जिला–जशपुर के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को संपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 271/खनि.शा./2020 जशपुर, दिनांक 06/11/2020 के अनुसार प्रस्तुत जानकारी निम्नानुसार है:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1324/1, कुल क्षेत्रफल – 4 हेक्टेयर, क्षमता – 6,793.7 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3932/ख.लि.–2/2016 रायगढ़, दिनांक 31/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	खनिज उत्पादन मात्रा (घनमीटर)
2017	2,050
2018	1,950
2019	400
09/2020	145

4. खनि अधिकारी, जिला–जशपुर के द्वारा मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर–श्री मुकेश कुमार जैन) के नाम पर लीज अंतरण (Lease Transfer) के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. श्री अक्षय कुमार मिश्रा द्वारा पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर–श्री मुकेश कुमार जैन) के नाम पर करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. श्री अक्षय कुमार मिश्रा द्वारा नामांतरित (Lease Transfer) के संबंध में अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था**:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर को प्रकरण की मूल नस्ती प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को प्रकरण से संबंधी समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नंदकिशोर सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री विवेक साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. खनि निरीक्षक द्वारा प्रकरण की मूल नस्ती का अवलोकन कराया गया।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का हस्तांतरण दिनांक 23/03/2017 को किया गया। तत्समय माईनिंग प्लान की अवधि वैध होने के कारण माईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण अनभिज्ञता के कारण नहीं कराया गया। संज्ञान में आने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. वर्तमान में रिवाइज्ड क्वारी प्लान मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन) के नाम पर तैयार कर प्रस्तुत की गई है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1848/खनिज/ख.लि.3/उत्खनन यो./2020 सरगुजा, दिनांक 04/12/2020 द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 6,48,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,89,852 टन है। लीज क्षेत्र में क्रशर 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें वायु प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किये जाने के संबंध स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अर्द्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अर्द्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/03/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्तो का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के तहत् वृक्षारोपण किया जाना था, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में 7.5 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में 70–80 नग एवं पहुंच मार्ग में 800 नग वृक्षारोपण किया गया है।

3. लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,981 वर्गमीटर होता है। जिसमें 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में कम से कम 1,500 नग वृक्षारोपण पूर्ण कर, फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स ग्रीव्स इण्डिया माईनिंग कॉर्पोरेशन, ग्राम–गोढ़ी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1461)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 57705/2020, दिनांक 05/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–गोढ़ी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 596/3, 596/11, 467/3, कुल क्षेत्रफल – 1.02 हेक्टेयर में क्वार्टज बेनिफिकेशन (ग्रेन्यूलेशन) यूनिट एण्ड मेन्युफेक्चरिंग, प्रोसेसिंग, साईजिंग, ग्राईडिंग ऑफ क्वार्टज क्षमता – 99,500 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपए 4 करोड़ है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण **तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
3. सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित प्रस्तुत की जाए।
5. ले–आउट में स्थापित / प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/03/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स शिवा इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री उमेश सचदेव, कुम्हारी क्ले माईन), ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1420)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57529/2020, दिनांक 16/10/2020। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/03/2021 को मॉनिटरिंग डाटा के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1011/1, 1011/2, 1013, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020/1, 1020/2, 1023/1, 1023/2, 1025, 1028, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1091/19, 1091/20, 1091/26, कुल क्षेत्रफल – 8.778 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5,300 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईट उत्पादन इकाई क्षमता–53,00,000 नग प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 361वीं बैठक दिनांक 02/03/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट

क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी करने की अनुशंसा की गई है।

मेसर्स श्री नरेन्द्र प्रितवानी (कुम्हारी ब्रिक अर्थ क्ले माईन) द्वारा क्लस्टर में आने वाले अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य एकत्रित बेसलाईन डाटा को ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध अनुसार मेसर्स श्री नरेन्द्र प्रितवानी (कुम्हारी ब्रिक अर्थ क्ले माईन) के प्रकरण पर एकत्रित बेसलाईन डाटा को ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री विष्णु साहू), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 952)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 41114/2019, दिनांक 09/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 79/2 एवं 1307 कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 6,739.2 टन प्रतिवर्ष (फ्लेग स्टोन उत्पादन 6,065.28 टन प्रतिवर्ष एवं स्टोन चिप्स 673.92 टन प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 25/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 873–2/ख.लि.–6/2019, रायपुर, दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1073/क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 17/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोडार नाला 105 मीटर एवं कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 395/क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र.61/2018 महासमुंद, दिनांक 26/02/2019 द्वारा जारी की गई थी।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./3910 महासमुंद, दिनांक 23/07/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण अनुसार आवेदित क्षेत्र वनक्षेत्र से 8 कि.मी. दूर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1 कि.मी., स्कूल 1.5 कि.मी., अस्पताल बिरकोनी 6.2 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन 9.5 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.6 कि.मी., राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,44,000 टन, माईनेबल रिजर्व 69,976 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 56,681 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 19,917 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	5,832
द्वितीय	5,470
तृतीय	4,957
चतुर्थ	5,832
पंचम	5,462
छटवे	5,978
सातवे	5,599
आठवे	6,065
नौवे	5,482
दसवे	5,984

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 480 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/03/2021 को आवेदन निरस्त करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर, परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि

होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स आर. डी. मिनरल्स बनहरदी लाईम स्टोन क्वारी (पार्टनर – श्री राहुल गोलछा), ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 880)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 36759/2019, दिनांक 26/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/06/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 326/2 एवं 327, कुल क्षेत्रफल – 0.708 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,600 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 316वीं बैठक दिनांक 28/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वैभव गोलछा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनहरदी का दिनांक 11/07/2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान एलांगविथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./1567/ख.लि./तीन–6/2018, दिनांक 02/11/2018 द्वारा अनुमोदित की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2095/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 16/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें क्षेत्रफल 3.012 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2095/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 16/08/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण –** पूर्व में लीज श्री नवीन कुमार जैन के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 05/04/2003 से 04/04/2013 तक थी। उक्त लीज का हस्तांतरण दिनांक 10/08/2007 को श्री मनीष खण्डेवाल के नाम पर किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड का नवीनीकरण 05 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 05/04/2013 से 04/04/2018 तक एवं वैधता वृद्धि 15 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 05/04/2018 से 04/04/2033 तक की अवधि हेतु वैध है। वर्तमान में लीज का हस्तांतरण दिनांक 05/07/2018 को मेसर्स आर. डी. मिनरल्स (पार्टनर – श्री राहुल गोलछा) के नाम पर किया गया है।

6. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण –** कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.कं. 10–1/581 राजनांदगांव, दिनांक 15/01/2020 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक 539 से 10.5 कि.मी. की दूरी पर है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–बनहरदी 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बनहरदी 1 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.6 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.7 कि.मी. दूर है। तालाब 0.8 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,69,920 टन, माईनेबल रिजर्व 94,470 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 85,024 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.252 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,000 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	1,933	3	5,800	11,600
द्वितीय	1,800	3	5,400	10,800
तृतीय	1,667	3	5,000	10,000
चतुर्थ	1,533	3	4,600	9,200
पंचम	1,400	3	4,200	8,400

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति निकटतम बोरवेल से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दक्षिण दिशा में 7.5 मीटर के खुले क्षेत्र में कई जगहों पर 4 मीटर तक उत्खनन पूर्व से ही किया गया है। उक्त उत्खनित क्षेत्र में ओव्हर बर्डन का भराव कर वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 326/2 एवं 327, क्षेत्रफल 0.708 हेक्टेयर, क्षमता–4,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 507/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार विगत वर्षो का उत्खनन विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)

2003–04	200
2004–05	120
2005–06	180
2006–07	215
2007–08	360
2008–09	75
2009–10	155
2010–11	735
2011–12	297
2012–13	380
2013–14	235
2014–15	265
2015–16 (15 जून तक)	85
@ 1.67 टन/घनमीटर	मीट्रिक टन में
2015–16 (15 जुलाई से 15 दिसम्बर तक)	3,440
16 जनवरी से 17 मार्च	–
2017–18	2,710
2018–19	2,800
2019–20	2,850

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Banhardi	
			Solar Lighting System	Rs. 0.30
			Plantation with Fencing	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.40**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तायक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत फार्म–2, फार्म–1, प्री–फिसिबिलिटी रिपोर्ट, अनुमोदित माईनिंग प्लान में खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,600 टन प्रतिवर्ष बतायी गई है। जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान उत्खनन क्षमता – 10,000 टन प्रतियर्ष बतायी गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/06/2020 को जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

(स) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. त्रुटिवश प्रस्तुतीकरण के दौरान उत्खनन क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख हो गया था। अतः प्रस्तुत फार्म–2, फार्म–1, प्री–फिसिबिलिटी रिपोर्ट, अनुमोदित माईनिंग प्लान में खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,600 टन प्रतिवर्ष को ही मान्य किया जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/11/2020 के माध्यम से अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(द) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से अप्राप्त है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अनुरोध किये जाने का उल्लेख किया गया है।

3. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 एवं 30/09/2020 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 07/09/2017 द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है:–

   "Regional offices of the Ministry are requested to submit certified compliance report within one month of receipt of such requests from the Member Secretary of the sectoral EAC. In case the inspection is not carryout within one month, the certified compliance report from the concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) of the Member Secretaries of the respective State Pollution Control Boards shall also be accepted for deliberations by the sectoral EAC"

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त ओ.एम. के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को अनुरोध किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 19/03/2021 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 19/03/2021 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाना बताया गया है।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 650 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 350 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 1,000 नग पौधे का रोपण किया जाएगा।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2095/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 16/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.012 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बनहरदी) का रकबा 0.708 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बनहरदी) को मिलाकर कुल रकबा 3.72 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स आर. डी. मिनरल्स बनहरदी लाईम स्टोन क्वारी (पार्टनर - श्री राहुल गोलछा) की ग्राम-बनहरदी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 326/2 एवं 327 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.708 हेक्टेयर, क्षमता - 11,600 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री प्रदीप कुमार शर्मा (चाईना क्ले माईन), ग्राम-रैंगाकठेरा, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 988)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 44502/2018, दिनांक 25/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित घाईना क्ले माईन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रेंगाकठेरा, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 962, कुल क्षेत्रफल–2.28 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप कुमार शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रेंगाकठेरा का दिनांक 12/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लीज का क्षेत्रफल 1.295 हेक्टेयर उल्लेख किया गया है। जबकि आवेदन 2.28 हेक्टेयर का है। अतः उक्त क्षेत्रफल हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (विथ इन्व्हायरोमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (जिओलॉजी), जिला – रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 8704/जिओलॉजी (जे.डी.)/माईनिंग स्कीम/चाईना क्ले – राजनांदगांव /एफ. नं. 7/2017 नया रायपुर, दिनांक 09/08/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2512/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर

अवस्थित अन्य चाईना क्ले माईन खदानों की संख्या निरंक है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत केएमएल फाईल में 500 मीटर के भीतर 1 अन्य क्ले की खदान स्थित है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2512/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 150 मीटर की दूर पहाड़ी पर गढ़माता मंदिर स्थित है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री प्रदीप कुमार शर्मा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षो अर्थात् दिनांक 07/07/1984 से 06/07/1989 तक की अवधि हेतु थी। जिसका प्रथम नवीनीकरण दिनांक 07/07/1989 से 06/07/1994, द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 07/07/1994 से 06/07/1999, तृतीय नवीनीकरण दिनांक 07/07/1999 से 06/07/2019 तक किया गया। तत्पश्चात 15 वर्षों, दिनांक 07/07/2019 से 06/07/2034 तक अवधि वृद्धि की गई।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री विक्रम सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष** 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, खैरागढ़, जिला– राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक मा.चि./न.क. 25/1606 खैरागढ़ दिनांक 14/05/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित स्थल से नजदीकी वन कक्ष क्रमांक 552 की दूरी 1.485 किलोमीटर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रेंगाकठेरा 1 कि.मी., स्कूल रेंगाकठेरा 0.7 कि.मी. अस्पताल डोंगरगढ़ 13 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,42,000 टन माईनेबल रिजर्व 2,14,000 एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,04,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,688 वर्गमीटर है। वर्तमान में 2 मीटर से 5 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। ओपन कास्ट मैनुअल मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1. 5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,333	1.5	5,000	10,000
द्वितीय	3,333	1.5	5,000	10,000
तृतीय	3,333	1.5	5,000	10,000
चतुर्थ	3,333	1.5	5,000	10,000
पंचम	3,333	1.5	5,000	10,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्टम	3,333	1.5	5,000	10,000
सप्तम	3,333	1.5	5,000	10,000
अष्ठम	3,333	1.5	5,000	10,000
नवम	3,333	1.5	5,000	10,000
दशम	3,333	1.5	5,000	10,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में चाईना क्ले खदान खसरा क्रमांक 962, क्षेत्रफल 2.28 हेक्टेयर, क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यायरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 21/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला– राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/6036/ख.लि 02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/12/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	1,000
अप्रैल 2009 से मार्च 2010	147
अप्रैल 2010 से मार्च 2011	249
अप्रैल 2011 से मार्च 2012	1,400
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	900
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	300
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	650
अप्रैल 2015 से मार्च 2016	700
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	340
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	300
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	200
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	900
अप्रैल 2020 से जून 2020	निरंक

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Govt Middle School, Village- Rengakathera	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation	0.10
			Total	**0.50**

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र पर वृक्ष स्थित है, जिसे माईनिंग प्लान या अन्य दस्तावेजों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त वृक्षों की कटाई किया जाना प्रस्तावित नहीं है। आवश्यकता होने पर ही इन वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत की जायेगी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार 500 मीटर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।

2. आवेदन अनुसार 2.28 हेक्टेयर हेतु जारी ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/01/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/6062/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 15/12/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.93 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रेंगाकठेरा का दिनांक 12/03/2020 का 2.28 हेक्टेयर हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था है कि परियोजना प्रस्तावक को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर, प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/03/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/03/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/193/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 19/03/2021 के अनुसार

आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/193/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 19/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–रेंगाकठेरा) का रकबा 2.28 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री प्रदीप कुमार शर्मा (चाईना क्ले माईन) की ग्राम–रेंगाकठेरा, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 962 में स्थित चाईना क्ले (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.28 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में आने वाले वृक्षों की कटाई न की जाए। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। वृक्षों को काटे जाने की स्थिति में, काटे गये वृक्षों के 10 गुणा आम एवं अन्य फलदार पौधे स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर रोपित किये जायें तथा इनकी 3 वर्ष तक रख–रखाव की व्यवस्था कर ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री अभय कुमार गर्ग (कसरेंगा सेण्ड माईन, ग्राम–कसरेंगा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा), निवासी–कारखाना एरिया, कटघोरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1416)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल **नम्बर** – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 178458/2020, दिनांक 10/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कसरेंगा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 430, कुल क्षेत्रफल – 11.606 हेक्टेयर में से 2.02 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अहिरन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 30,360 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुशील कुमार गर्ग, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ढपढप का दिनांक 21/10/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – **माईनिंग प्लान** प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/2867/खलि–6/2020 कोरबा, दिनांक 08/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2811/खलि–03/रेत नी. (कसरेंगा)/न.क. 19/2019 कोरबा, दिनांक 01/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2812/खलि–03/रेत नी. (कसरेंगा)/न.क.19/2019 कोरबा, दिनांक 01/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री अभय कुमार गर्ग के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन

1328/खनि–03/रेत नी. (कसरेंगा)/न.क.19/2019 कोरबा, दिनांक 21/05/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कसरेंगा 0.7 कि.मी., स्कूल कसरेंगा 0.7 कि.मी. एवं अस्पताल ढेलवाडीह 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। एनीकट खदान से 530 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 160 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 412 मीटर एवं चौड़ाई – 51 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 16 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 30,360 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.95 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में सचिव, ग्राम पंचायत ढपढप (ग्राम–कसरेंगा) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 430, क्षेत्रफल 2.03 हेक्टेयर, क्षमता– 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरबा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03/10/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2020 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत ढपढप (ग्राम–कसरेंगा) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अभय कुमार गर्ग के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

    iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4009/खनि–03/रेत नी.(कसरेंगा)/न.क्र.19/2019 कोरबा, दिनांक 25/10/2020 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	9,000
2018–19	6,900
2019–20	1,500

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 12/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तायक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
19.59	2%	0.39	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Dhapdhap	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation	0.05
			Total	**0.40**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 160 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 16 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान में नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = अधिकतम 20 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर छोड़कर उत्खनन प्रस्तावित किया जाना चाहिए। अतः नये दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. माईनिंग प्लान अनुसार जिन क्षेत्रों में नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 200 मीटर एवं न्यूनतम 160 मीटर है उन क्षेत्रों में खदान की नदी तट के किनारे से दूरी क्रमशः अधिकतम 70 मीटर एवं न्यूनतम 16 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़े जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।
2. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 160 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 414 मीटर, न्यूनतम 410 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 52 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर है।
3. रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.95 मीटर है। उक्त पंचनामा से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उत्खनन क्षेत्र में 1.95 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/03/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, पंचनामा सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 3 मीटर से अधिक है।
2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत

पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अहिरन नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कसरेंगा) का रकबा 2.02 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री अभय कुमार गर्ग, कसरेंगा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 430, ग्राम–कसरेंगा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 20,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट–05 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री रविशंकर जायसवाल (रूनियाडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट), ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1402)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 174324/2020, दिनांक 22/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1273, कुल क्षेत्रफल – 0.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति (बैठक दिनांक सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रविशंकर जायसवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि माईनिंग प्लान में ईट उत्पादन अधिकतम क्षमता – 5,76,400 नग प्रतिवर्ष का भी प्रस्ताव है। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 1,073.23 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता – 5,76,400 नग) प्रतिवर्ष हेतु जारी किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रूनियाडीह का दिनांक 08/06/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. क्रमांक/230–31/खनिज/खलि.2/2016 बैकुंठपुर, दिनांक 20/05/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, गुरूद्वारा, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री रविशंकर जायसवाल के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष की दिनांक 28/03/2006 से दिनांक 27/03/2016 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 28/03/2016 से 27/03/2036 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1258/2005 अंबिकापुर, दिनांक 19/04/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रूनियाडीह 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–रूनियाडीह 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–रूनियाडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 11,701 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 6,479 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,831 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 364.79 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। माईनिंग प्लान अनुसार वर्तमान में 5,698.68 वर्गमीटर क्षेत्र में लगभग 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। स्थापित लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। माईनिंग प्लान में वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	631
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	561
द्वितीय	562
तृतीय	583
चतुर्थ	518
पंचम	618
छष्टम	619
सप्तम	619
अष्टम	619
नवम	620
दशम	528

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 180 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1273, क्षेत्रफल 0.87 हेक्टेयर, क्षमता–1,073.23 घनमीटर (5,47,581 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा

दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (नग)	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2017	50,000	100
2018	5,25,000	1,050
2019	2,70,000	540

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Govt Primary School, **Village-Runiyadih**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Total	**0.70**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. आवेदित उत्खनन क्षमता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष है। जबकि माईनिंग प्लान में प्रथम वर्ष में उत्खनन 1,192 घनमीटर दर्शाया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2021 एवं 08/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/03/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही पूर्व में इस संबंध में जो आंकड़ें जिस ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से प्रस्तुत किये गये थे, उसी ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से वर्तमान में परिवर्तित आंकड़ें प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार एक ही ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से भिन्न–भिन्न उत्खनन आंकड़ें प्रस्तुत किये गये है। उक्त विसंगतियों के संबंध में लेख करते हुए कलेक्टर को सूचित किया जाना आवश्यक है। साथ ही उपरोक्त के संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर को अवगत कराया जाना होगा।
3. माईनिंग प्लान में प्रथम वर्ष में उत्खनन 1,192 घनमीटर दर्शित होने, जबकि आवेदित उत्खनन क्षमता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रथम वर्ष में उत्खनन उपरांत माईन वेस्ट को कम किये जाने पर उपलब्ध मिट्टी की मात्रा 1,073.23 घनमीटर है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कलेक्टर, जिला–सूरजपुर को एक ही क्रमांक एवं दिनांक द्वारा जारी दो अलग–अलग पत्रों के संबंध में जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्ष में प्रेषित किये जाने हेतु लेख किया जाए।

कलेक्टर, जिला–सूरजपुर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री अभिषेक साहू (एस–1, नमना सेण्ड माईन), ग्राम–नमना, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1520)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 193204/2021, दिनांक 15/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–नमना, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 726 एवं 1193, कुल क्षेत्रफल – 4.98 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अटेम नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 65,720 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 359वीं बैठक दिनांक 27/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नमना का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन पृ.क्रमांक 65/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 06/खनि./न.क्र.14/2021 सूरजपुर, दिनांक 06/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 369/खनि./न.क्र. 14/2021 सूरजपुर, दिनांक 06/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री अभिषेक साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1081/गौ.ख.रे./रि.ऑ./न.क.14/2020 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./4965 सूरजपुर, दिनांक 06/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नमना 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–नमना 1 कि.मी. एवं अस्पताल प्रेमनगर 7.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 204 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में एवं एनीकट खदान से 207 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 87 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1095 मीटर, न्यूनतम 1077 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 65,720 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.37 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 25/01/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

31.8	2%	0.63	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Namna**	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.15
			Total	**0.65**

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** –

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 87 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3,183 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 204 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में एवं एनीकट खदान से 207 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल डाउनस्ट्रीम में एवं एनीकट अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 250 मीटर एवं एनीकट की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 46 मीटर एवं एनीकट की तरफ से खदान से 293 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 13,757 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 16,940 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.286 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खदान क्षेत्र की न्यूनतम लंबाई 1077 मीटर है। पुल एवं एनीकट की तरफ से खदान से 339 मीटर कम किये जाने पर न्यूनतम लंबाई 738 मीटर होता है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। जिसमें 3 मीटर दूरी का क्षेत्र अधिक है। अतः नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़े जाने पर वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र की गई गणना से अधिक होगा। इस प्रकार प्रस्तुत माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र हेतु की गई गणना में त्रुटि है। अतः वास्तविक गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त विवरण अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 359वीं बैठक दिनांक 27/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/ दस्तावेज दिनांक 25/03/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन पृ.क्रमांक 488/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. **गैर माईनिंग क्षेत्र –**
   i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 87 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4,232 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
   ii. पुल खदान से 204 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में एवं एनीकट खदान से 207 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल डाउनस्ट्रीम में एवं एनीकट अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 250 मीटर एवं एनीकट की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 46 मीटर एवं एनीकट की तरफ से खदान से 293 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 15,668 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
   iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 19,900 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.99 हैक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अटेम नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–नमना) का रकबा 4.98 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –
   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री अभिषेक साहू, एस–1, नमना सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 726 एवं 1193, ग्राम–नमना, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 19,900 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 2.99 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 29,900 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट–06 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स श्री अभिषेक साहू (एस–2, नमना सेण्ड माईन), ग्राम–नमना, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1517)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 193301 / 2021, दिनांक 15 / 01 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–नमना, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 727, 584 एवं 585, कुल क्षेत्रफल – 4.98 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अटेम नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 84,628 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27 / 01 / 2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टैम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 359वीं बैठक दिनांक 27/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नमना का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 63/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 13/खनि/न.क्र.15/2021 सूरजपुर, दिनांक 06/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 11/खनि/न.क्र.

15/2021 सूरजपुर, दिनांक 06/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री अभिषेक साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1091/गौ.ख.रे./रि.ऑ./न.क्र.15/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./4967 सूरजपुर, दिनांक 06/12/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नमना 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–नमना 1 कि.मी. एवं अस्पताल प्रेमनगर 7.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 311 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 158 मीटर, न्यूनतम 114 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 932 मीटर, न्यूनतम 905 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 27 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 84,628 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.38 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 25/01/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Namna	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.15
			Total	**0.65**

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र –**

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 158 मीटर, न्यूनतम 114 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 27 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 127 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 311 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 189 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 7,359 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 7,486 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.231 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खदान क्षेत्र की न्यूनतम चौड़ाई 43 मीटर है। पुल की तरफ से खदान से 189 मीटर छोड़े जाने पर कम से कम

8,127 वर्गमीटर क्षेत्र होता है। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 7,359 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार प्रस्तुत माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र हेतु की गई गणना में त्रुटि है। अतः वास्तविक गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त विवरण अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 359वीं बैठक दिनांक 27/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/03/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन पृ.क्रमांक 486/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. **गैर माईनिंग क्षेत्र** –
   i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 158 मीटर, न्यूनतम 114 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 27 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 127 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
   ii. पुल खदान से 311 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 189 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 9,487 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
   iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 9,614 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.018 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया

है। अटेम नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–नमना) का रकबा 4.98 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**
   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री अभिषेक साहू, एस–2, नमना सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 727, 584 एवं 585, ग्राम–नमना, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 9,614 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.018 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट–07 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स श्री कौशलेन्द्र गुप्ता (एम–1, उमेशपुर सेण्ड माईन), ग्राम–उमेशपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1522)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 193232/2021, दिनांक 15/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–उमेशपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 48 एवं 1414, कुल क्षेत्रफल – 4.98 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गोबरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 90,802 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया** था:–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में

न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 359वीं बैठक दिनांक 27/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उमेशपुर का दिनांक 23/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 67/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 21/खनि./न.क्र. 16/2021, सूरजपुर, दिनांक

06/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 19/खनि./न.क्र. 16/2021, सूरजपुर, दिनांक 06/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री कौशलेन्द्र गुप्ता के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1069/गौ.ख.रे./रि.ऑ./न.क.16/2020 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–उमेशपुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–उमेशपुर 4.3 कि.मी. एवं अस्पताल रामानुजनगर 21 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 70 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 635 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 62 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1455 मीटर, न्यूनतम 1400 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 47 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 90,802 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.31 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 25/01/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
39.7	2%	0.78	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Umeshpur**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running water facility for Toilets	0.20
			Total	**0.80**

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 62 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4,399 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.54 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खदान क्षेत्र की अधिकतम 1455 मीटर, न्यूनतम 1400 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। अतः नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़े जाने पर वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र की, की गई गणना से अधिक होगा। इस प्रकार प्रस्तुत माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र हेतु की गई गणना में त्रुटि है। अतः वास्तविक गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त विवरण अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना (कम से कम 5 सेक्शन में विभाजित कर) करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 359वीं बैठक दिनांक 27/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/03/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:--

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 587/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 62 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3,940 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.586 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। गोबरी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–उमेशपुर) का रकबा 4.98 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर / नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री कौशलेन्द्र गुप्ता, एम–1, उमेशपुर सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 48 एवं 1414, ग्राम–उमेशपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3,940 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.586 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट–08 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. मेसर्स माशिवा स्टील एण्ड एलॉयज एलएलपी, ग्राम–तुमिडीह, ओ.पी. जिन्दल इण्डस्ट्रीयल पार्क, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 815)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 34248 / 2019, दिनांक 06 / 04 / 2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 34248 / 2019, दिनांक 20 / 01 / 2021 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–तुमिडीह, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ स्थित प्लाट क्रमांक 196 एवं 198(ए), कुल क्षेत्रफल – 2.76 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (10 टन गुणा 2 नग) (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष से इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (12 टन गुणा 4 नग) (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 1,42,560 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 15.09 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 5.05 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/07/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रजत गर्ग, पार्टनर एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति –**

   - पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 700, दिनांक 08/12/2017 द्वारा इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के ज्ञापन दिनांक 14/01/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 2 शर्तों का पालन नहीं किया गया है एवं 2 शर्तों का आंशिक पालन बताया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपूर्ण शर्तों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना बताया गया:–

  I. इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट सेल का गठन किया गया है।

  II. हाउस किपिंग के सुधार हेतु अतिरिक्त वॉटर स्प्रिंकलर्स की स्थापना की गई है।

  III. परिसर के 35.14 प्रतिशत क्षेत्र में 1,658 नग वृक्षारोपण किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

  IV. पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया गया। आगामी प्रतिवेदन ऑनलाईन के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 13/11/2019 को जारी की गई है।

- पूर्व में जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम–तुमिडीह 0.97 कि.मी. एवं शहर रायगढ़ 18.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भूपदेवपुर 12.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.8 कि.मी. है। केलो नदी 7.7 कि.मी., पजहर नाला 7.6 कि.मी. एवं रेबो बांध 7.67 कि.मी. की दूरी पर है।

- उर्दना आरक्षित वन 9.8 कि.मी., बारकछार आरक्षित वन 8.1 कि.मी., खरीडुंगरी आरक्षित वन 3.7 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 7.3 कि.मी., रेबो आरक्षित वन 7.9 कि.मी., समारूमा आरक्षित वन 2.6 कि.मी. एवं जमदभरी संरक्षित वन 0.7 कि.मी. है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** कुल क्षेत्रफल 2.76 हेक्टेयर है, जिसमें से फैक्ट्री शेड एण्ड बिल्डिंग का क्षेत्रफल 0.53 हेक्टेयर, रोड एवं पेव्ड का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 1.08 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 1.05

हेक्टेयर (38 प्रतिशत) होगा। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

5. **रॉ–मटेरियल (प्रस्तावित कार्यकलाप) –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Mode of Transport
a)	Sponge Iron	1,32,615	By Road (through covered trucks)
b)	CI/Pig Iron / Heavy Scrap	29,224	By Road (through covered trucks)
c)	Ferro Alloys & Aluminium	1,463	By Road (through covered trucks)
d)	Ramming Mass and Refractory Lining	209	By Road (through covered trucks)

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Product	Existing Configuration & Capacity	Configuration & Capacity After Proposed Expansion
MS Ingots / Billet	10 T X 2 Nos. Induction Furnace along with CCM (59,400 TPA)	*12 T X 4 Nos. Induction Furnace along with CCM (1,42,560 TPA)
Note - * Up-gradation of its 10 T X 2 Nos. of Induction to 12 T X 4 Nos. Induction Furnace.		

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्रुशिबल, स्मोक हुड के साथ डस्ट कलेक्टर तथा बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस से डिफेक्टीव बिलेट – 3,852 टन प्रतिवर्ष, स्लेग – 16,788 टन प्रतिवर्ष एवं री–फेक्ट्री वेस्ट – 105 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। डिफेक्टीव बिलेट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाएगा। स्लेग को मेटल रिकव्हरी युनिट्स को विक्रय किया जाएगा। री–फेक्ट्री वेस्ट रिसाईक्लर/लेण्ड फिल को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में जनित ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 23 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना

हेतु कुल 66 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 63 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। जिसके लिए सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 2.4 घनमीटर प्रतिदिन है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल को डिसइंफेक्सन कर वृक्षारोपण में पुनःउपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 11,073 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत स्थापित रिचार्ज पिट के स्थान पर 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 2.5 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 2.5 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 12 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का 1 नग डी.जी. सेट स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.97 हेक्टेयर (35 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,858 नग पौधे रोपित किये गये

है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत अतिरिक्त 0.09 हेक्टेयर क्षेत्र में 154 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1.05 हेक्टेयर (38 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,012 नग वृक्षारोपण होगा।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च से 15 जून 2019 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 5 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 15.3 से 29.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42.4 से 86.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 4.7 से 20.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.1 से 30 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 46.1 डीबीए से 61.7 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 52.9 डीबीए से 37.2 डीबीए पाया गया।

iii. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

iv. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 8 का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
500	1%	5.0	Following activities at Nearby 1. Government Middle School Village-Tumidih	
			Rain Water Harvesting System	1.65
			Potable Drinking Water Facility	0.25
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05

			Total	**2.20**
			2. Government Primary School **Village-Tumidih**	
			Rain Water Harvesting System	0.65
			Potable Drinking Water Facility	0.75
			Running Water Facility for Toilets	0.35
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	**1.80**
			3. Government Primary Indira Awas School, **Village-Tumidih**	
			Rain Water Harvesting System	0.55
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.20
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	**1.00**
			Grand Total	**5.00**

14. **लोक सुनवाई का विवरण** – लोक सुनवाई दिनांक 03/12/2020 प्रातः 11:00 बजे स्थान बंजारी मंदिर प्रांगण, ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 31/12/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. उद्योग द्वारा गाड़ियों का परिवहन एवं पार्किंग बनाकर निजी भूमि का अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस हेतु किसी प्रकार का नगद भुगतान नहीं किया जा रहा है।

   ii. केलो जलाशय में मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा प्राप्त किया गया है जिस पर मत्स्य पालन किया जा रहा है। उद्योग के क्षमता विस्तार एवं आस–पास स्थित अन्य उद्योगों से प्रदूषण होने की संभावना है।

   iii. कोविड–19 महामारी के कारण केवल 100 व्यक्तियों को ही अपना विचार प्रकट करने की अनुमति प्रदान है, जबकि जनसुनवाई का अर्थ ही लोगों की

सुनवाई अर्थात् उद्योग स्थल के आस–पास के लोगों की सुनवाई है। इस प्रकार वर्ग विशेष को वंचित करना तथा व्यक्ति विशेष को स्थान देना पूरी तरह अनुचित है। साथ ही उद्योग स्थापित करने व विस्तार से विभिन्न परेशानियां जैसे बढ़ती यातायात, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण अपने शीर्ष पर है।

iv. पूंजीपथरा पांचवी अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहा पर पेसा एक्ट कानून लागू है। इस कानून के तहत् ग्राम पंचायतों से अनुमति लेने का प्रावधान है।

v. प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

vi. पूंजीपथरा क्षेत्र, उद्योग स्थल से 10 कि.मी. के भीतर समसरुमा पान की पहाड़ी जिन्दो आमा घाट क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हाथियों द्वारा कृषकों की फसलों का नुकसान एवं कई बार स्थानीय व्यक्तियों को कुचलकर मारने का भी रिपोर्ट जारी किया गया है तथा इस क्षेत्र में 12 महीने हाथियों का आना–जाना लगभग लगा रहता है। जबकि ई.आई.ए. रिपोर्ट में इस क्षेत्र को हाथी प्रभावित क्षेत्र नहीं होना बताया गया है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. उद्योग ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रियल पार्क में स्थापित है तथा इस औद्योगिक पार्क हेतु जेएसपीएल द्वारा विकसित अधोसंरचनाओं यथा सड़क एवं पार्किंग आदि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी ने कहीं पर भी किसी प्रकार से किसी अन्य की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है।

ii. उद्योग द्वारा वर्तमान में विद्युत चलित इण्डक्शन फर्नेस का उपयोग किया जाता है एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु भी इण्डक्शन फर्नेस का उपयोग किया जाएगा। ईंधन का उपयोग प्रस्तावित नहीं है। अतः परिवेशीय वायु पर गैसीय उत्सर्जन के कारण कोई प्रभाव नहीं होगा। तदैव मत्स्य पालन पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा।

iii. भारत सरकार द्वारा कोविड–19 में लोक सुनवाई हेतु दिशा निर्देशानुसार कराई जा रही है। शासन द्वारा दिशा निर्देश के अनुपालन में एक स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक प्रवेश सीमित था तथा उपस्थिति 100 व्यक्तियों से अधिक होने की दशा में समुचित दूरी पर दो पृथक–पृथक पण्डाल लगाये गये थे, जिससे सभी को अपना अभिमत रखने का अवसर मिल सके। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु इण्डक्शन फर्नेस इकाईयों में उपयुक्त दक्षता की बेग फिल्टर स्थापित किया जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

iv. विद्यमान इकाई ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क में संचालित है एवं क्षमता विस्तार उसी परिसर में किया जाना है। अतः ग्राम पंचायतों की अनुमति आवश्यक नहीं है।

v. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

vi. क्षेत्र एलीफेन्ट कोरिडोर के अंतर्गत नहीं आता है। ई.आई.ए. रिपोर्ट के अध्याय – 3 के 3.6 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में हाथियों का आवागमन होना प्रतिवेदित किया गया है। 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार करने हेतु विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के समक्ष आवेदन किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत की जाए।
3. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार "Project proponent shall submit compliance report from Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board if any violation related to environmental pollution committed by industry in last one year and the remedial measures taken in this regard." जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 25/03/2021 को प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार क्षमता विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किये जाने की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 8 के पालन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़ के समक्ष आवेदन किये जाने की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथाशीघ्र प्रस्तुत किये जाने की जानकारी दी गई है।

4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 700, दिनांक 08/12/2017 द्वारा उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध स्वीकृति निरस्त किये जाने के संबंध में माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष श्री रमेश अग्रवाल द्वारा दायर याचिका भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य – ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 33/2019 (CZ) में विचाराधीन है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–तुमिडीह, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ स्थित प्लाट क्रमांक 198 एवं 198(ए), कुल क्षेत्रफल – 2.76 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (10 टन गुणा 2 नग) (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष से इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (12 टन गुणा 4 नग) (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 1,42,560 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट–09 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लिया गया निर्णय माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 33/2019 (CZ) में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अधीन होगा।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, सक्षम प्राधिकारी से विधियत् अनुमति प्राप्त कर, योजना अनुसार कार्य संपादित किया जाए तथा अनुमोदित योजना की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।
3. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार "Project proponent shall submit compliance report from Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board if any violation related to environmental pollution committed by industry in last one year and the remedial measures taken in this regard." के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री प्रवेश जैन (गढ़बेंगाल सेण्ड माईन, ग्राम–गढ़बेंगाल, तहसील व जिला–नारायणपुर), सोनपुर रोड, जैन स्टील, देवांगन पारा, तहसील व जिला–नारायणपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1414)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 178373/2020, दिनांक 10/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/10/2020 द्वारा जानकारी

प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–गढ़बेंगाल, तहसील व जिला–नारायणपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल–1.633 हेक्टेयर में है। उत्खनन कुकुर नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 16,330 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. /लीज डीड की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रिषभ जैन, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री सोमेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल का दिनांक 14/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें क्वारी प्लान की कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत नहीं की गई है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 246/खनिज/रेत खदान/2020–21 नारायणपुर, दिनांक 18/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 250/खनिज/रेत खदान/2020–21 नारायणपुर, दिनांक 23/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री प्रवेश जैन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रं

241/खनिज/ख.लि./2019–20 नारायणपुर, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 2 वर्षों हेतु लीज निष्पादित की गई है। लीज डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गढ़बेंगाल 2.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–गढ़बेंगाल 2.3 कि.मी. एवं अस्पताल नारायणपुर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 500 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 20 मीटर दर्शाई गई है। खनिज विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं माईनिंग प्लान के अनुसार खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 16,330 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 801, क्षेत्रफल 1.633 हेक्टेयर, क्षमता– 8,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 25/09/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री प्रवेश जैन के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

    iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई। शर्तानुसार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन

प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व में निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 293/ खनिज/ रेत खदान/ 2020–21 नारायणपुर, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019–20	920
2020–21	1,180

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/06/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Nearby Government Primary Health Care Center **Village- Garhbengal**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Total	**0.40**

15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। वर्तमान में प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर सर्वे किया गया है। उक्त सर्वे से पर्याप्त आंकड़े प्रदर्शित नहीं हो रहे है। अतः 5 मीटर गुणा 5 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर सर्वे किया जाना चाहिए। साथ ही खनन स्थल की औसत लंबाई – 500 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 20 मीटर दर्शाई गई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खनन क्षेत्र की लंबाई के अनुदिश (Along) खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। माईनिंग प्लान में

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. क्वारी प्लान अनुमोदन की कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत की जाए।

2. लीज डीड संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये।

4. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019–20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (रेत पुनःभराव) पंचनामा सहित प्रस्तुत की जाए।

5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. खनन क्षेत्र को 100 मीटर–100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर नहीं होने की स्थिति में नये दिशा निर्देशों के अनुसार माईनिंग प्लान में संशोधन कारकर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2021 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 346वीं एवं 349वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/11/2020 एवं 08/12/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 02/12/2020, 19/01/2021 एवं 14/02/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

3. परियोजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु स्मरण पत्र लेख के लिए निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 02/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1141/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2020-21 कांकेर, दिनांक 19/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. लीज श्री प्रवेश जैन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-नारायणपुर के ज्ञापन दिनांक 27/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि दिनांक 27/12/2019 से 26/12/2021 तक वैध है।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019-20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019-20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (रेत पुनःभराव) पंचनामा सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
5. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 43 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 585 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 30 मीटर, न्यूनतम 13 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी 7.5 मीटर है। स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 11,357 घनमीटर है।
6. खनन क्षेत्र को 100 मीटर-100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये।
2. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019-20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019-20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (रेत पुनःभराव) पंचनामा सहित प्रस्तुत की जाए।
3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी /

दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 361वीं बैठक दिनांक 02/03/2021 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर द्वारा दिनांक 25/03/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ऋषभ जैन, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री सोमेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, पंचनामा सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 3 मीटर तक है।
3. **गैर माईनिंग क्षेत्र –** नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 43 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 7.5 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 7.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4,972.5 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.135 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। कुकुर नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–गढ़बेंगाल) का रकबा 1.633 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य –** प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम

आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री प्रवेश जैन, गढ़बेंगाल सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 801, ग्राम–गढ़बेंगाल, तहसील व जिला–नारायणपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 1.633 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 4,972.5 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.135 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 11,300 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु **परिशिष्ट–10** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

7. आवेदक द्वारा पोस्ट–मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट–मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स श्री सुदीप कुमार झा (ब्रेहबेड़ा सेण्ड माईन, ग्राम–ब्रेहबेड़ा, तहसील व जिला–नारायणपुर), तहसीलपारा, तहसील व जिला–नारायणपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1415)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 178377/2020, दिनांक 10/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–ब्रेहबेड़ा, तहसील व जिला–नारायणपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 120, कुल क्षेत्रफल – 2.23 हेक्टेयर में है। उत्खनन कुकुर नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 13,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. एल.ओ.आई. /लीज डीड की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक

है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुदीप कुमार झा, प्रोपराईटर एवं श्री सोमेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ब्रेहबेड़ा का दिनांक 25/09/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/678/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2020–21 कांकेर, दिनांक 05/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 242/खनिज/रेत खदान/2020–21 नारायणपुर, दिनांक 18/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 1,000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 244/खनिज/रेत खदान/2020–21 नारायणपुर, दिनांक 18/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री सुदीप कुमार झा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रं 243/खनिज/ख.लि./2019–20 नारायणपुर, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 2 वर्षों हेतु लीज निष्पादित की गई है। लीज डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ब्रेहबेड़ा 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–ब्रेहबेड़ा 0.7 कि.मी. एवं अस्पताल नारायणपुर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। एनीकट 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की औसत चौड़ाई – 60 मीटर, तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 1,000 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 13,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत ब्रेहबेड़ा के नाम से रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 120, क्षेत्रफल 2.23 हेक्टेयर, क्षमता– 11,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 25/09/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत ब्रेहबेड़ा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री सुदीप कुमार झा के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई। शर्तानुसार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व में निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 297/ खनिज/ रेत खदान/ 2020–21 नारायणपुर, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019–20	676
2020–21	624

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/06/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government School Village- Brehbeda	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Total	**0.60**

15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के पाट की चौड़ाई 60 मीटर है। वर्तमान में प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर सर्वे किया गया है। उक्त सर्वे से पर्याप्त आंकड़े प्रदर्शित नहीं हो रहे है। अतः 5 मीटर गुणा 5 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर सर्वे किया जाना चाहिए। साथ ही खनन स्थल की औसत लंबाई – 1,000 मीटर एवं चौड़ाई – 30 मीटर दर्शाई

गई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खनन क्षेत्र की लंबाई के अनुदिश (Along) खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज डीड संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये।
3. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019–20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (रेत पुनःभराव) पंचनामा सहित प्रस्तुत की जाए।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. खनन क्षेत्र को 100 मीटर–100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर नहीं होने की स्थिति में नये दिशा निर्देशों के अनुसार माईनिंग प्लान में संशोधन कारकर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2021 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 348वीं एवं 349वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/11/2020 एवं 08/12/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 02/12/2020, 19/01/2021 एवं 14/02/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु स्मरण पत्र लेख के लिए निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 02/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. लीज श्री सुदीप कुमार झा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन दिनांक 27/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि दिनांक 27/12/2019 से 26/12/2021 तक वैध है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019–20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (रेत पुनःभराव) पंचनामा सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 1000 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी 10 मीटर है। पूर्व में नदी तट से दूरी संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण दी गई थी। स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 12,879 घनमीटर है।
5. खनन क्षेत्र को 100 मीटर–100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
6. मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1140/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2020–21 कांकेर, दिनांक 19/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये।
2. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम

सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2019–20 में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (रेत पुनःभराव) पंचनामा सहित प्रस्तुत की जाए।

3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2021 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर द्वारा दिनांक 25/03/2021 को पुनःविचार करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(इ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुदीप झा, प्रोपराईटर एवं श्री सोमेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, पंचनामा सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 3 मीटर तक है।
3. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – एनीकट खदान से 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार एनीकट के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः एनीकट की तरफ से खदान से 300 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 9.420 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.287 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। कुकुर नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–ब्रेहबेड़ा) का रकबा 2.23 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. वृक्षारोपण कार्य – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री सुदीप कुमार झा, ब्रेहबेड़ा सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 120, ग्राम–ब्रेहबेड़ा, तहसील व जिला–नारायणपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 2.23 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 9,420 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.287 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 12,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट–11 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

7. आवेदक द्वारा पोस्ट–मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट–मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वॉरी (02)), ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1432)

पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 180039/2020, दिनांक 23/10/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में श्री मनीष राठौर द्वारा दिनांक 16/02/2021 के माध्यम से शिकायत पत्र प्रेषित की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1671, दिनांक 29/12/2020 को खसरा क्रमांक 9/1, रकबा – 1.0 हेक्टेयर, ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोड़ीउपरोड़ा, जिला–कोरबा को साधारण पत्थर क्षमता–2,52,078 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल क्षमता–2,53,232 टन) हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. शिकायत पत्र अनुसार मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 169/खनि–2/डी.ई.आई.ए.ए./2016, कोरबा, दिनांक 01/11/2018 को खसरा क्रमांक 9/1, रकबा–1.0 हेक्टेयर, ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोड़ीउपरोड़ा को साधारण पत्थर क्षमता–26,963 घनमीटर क्षमता हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
2. यह खदान पूर्व से संचालित थी, जबकि मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समिति के समक्ष इसे नवीन खदान होना बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड गलत जानकारी / दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतः जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राप्त शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ में प्रकरण से संबंधित वास्तविक जानकारी एवं दस्तावेज 15 दिवस के भीतर प्रेषित करने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा को पत्र लेख किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR CEMENT GRINDING UNIT CAPACITY 1,000 (5X200 TONNE) TONNE PER DAY OF M/S HIGH TECH SUPER CEMENT AND STEEL PRIVATE LIMITED AT VILLAGE - BILHA & MOHBHATTA, TEHSIL - BILHA, DISTRICT- BILASPUR, CHHATTISGARH

I. Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R. No. 612 (E) dated 25th August, 2014 (Cement) and subsequent amendment dated 9th May, 2016 (Cement) as amended from time to time; according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall install system for carryout Continuous Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. Project authority shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in clinker grinding unit and cement silo with minimum 30 meter stack to ensure outlet dust (particulate matter) emission less than 30 mg/Nm3 all the time. Suitable & effective air pollution control equipments (adequate dust extraction systems with bag filters) for the control of emissions from processes/ operations and for the control of emission during the handling & transportation of raw materials etc. shall be installed before commissioning of the plant and maintained in proper order during operation. Project authority shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc., also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be

covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water (water spraying system with high pressure pump and spray nozzle) at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. The emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources.

vii. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags.

viii. Pollution control system in the cement plant shall be provided as per the CREP Guidelines of CPCB.

ix. Sufficient number of mobile or stationery vaccum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

x. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

xi. The project proponent shall installed conveyor belt for transportation of fly ash from adjacent steel palnt. No fly ash shall be transported to road route.

xii. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xiii. The project proponent shall provide 03 meter high boundary wall all along the plant periphery.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment Plant shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R. No. 612 (E) dated 25th August, 2014 (Cement) and subsequent amendment dated 9th May, 2016 (Cement) as amended from time to time; And connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of

piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area.

v. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

vi. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vii. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

iii. Maximize utilization of fly ash, slag and sweetener in cement blend as per BIS standards.

VI. Waste Management

i. All the dust collected from pollution control devices like bag filters etc. shall be recycled and reused in the process and used for cement manufacturing.

ii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

iii. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area equal to 41.27% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. The project proponent shall ensure a three tier dense plantation in approach road connecting railway siding to plant.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility:-

Capital Investment (in Crores)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Crores)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh)
10	2.0%	0.20	Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Mohbhatta**, Rain Water Harvesting Facilities, Rain Water Harvesting Facilities, Running Water Facility for Toilet, in **Panchayat** Building, Village-Mohbhatta & Solar Street Lighting In **Village-Mohbhatta**	**4.85**
			Total	**4.85**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation,	**4.22**

			Running Water Facility for Toilet, In Govt. Girls School, **Village-Bilha** & Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, In Govt. Primary School, **Village-Bilha**	
			Total	**4.22**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. English Medium Middle School, **Village-Keshla**	**2.11**
			Total	**2.11**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Nipaniya**	**2.13**
			Total	**2.13**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Dagori**	**2.15**
			Total	**2.15**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Hirri** & Solar Street Lighting in **Village-Hirri**	**3.16**
			Total	**3.16**
			Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, **Village-Sanbhalpur**	**2.05**
			Total	**2.05**
			Grand Total	**20.67**

II. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation

of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. Project Proponent shall ensure 90% transportation of raw materials and products through railways as per the proposal submitted. To ensure this, project proponent shall construct the required rail loop from existing railway sidding / track up to plant premises simultaneously with establishment of the project; failing which at any stage, this environmental clearance shall be treated as null and void.

ii. Project proponent shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Nagar Panchayat / Gram Panchayat, villagers, school teachers / management, workers, transporters and factory management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month; during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The proceedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the proceedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raigarh for information.

iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iv. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and

Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स श्रीमती साधना जायसवाल (बुढ़ाडांड ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 530, ग्राम–बुढ़ाडांड, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 920 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता – 6,12,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 920 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता – 6,12,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रमाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।
11. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज

का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24	2%	0.54	Following activities at Government Primary School, **Village – Dhenki nala, Budhadand**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking Water Facility	0.16
			Total	**0.76**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 204 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
23. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियों सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स आर. डी. मिनरल्स बनहरदी लाईम स्टोन क्वारी (पार्टनर – श्री राहुल गोलछा) को खसरा क्रमांक 326/2 एवं 327, कुल लीज क्षेत्र 0.708 हेक्टेयर, ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–11,600 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.708 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 11,600 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनि""चत किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ

उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Banhardi	
			Solar Lighting System	Rs. 0.30
			Plantation with Fencing	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.40**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 500 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

23. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तो के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तो के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तो के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स श्री प्रदीप कुमार शर्मा (चाईना क्ले माईन) को खसरा क्रमांक 962, कुल लीज क्षेत्र 2.28 हेक्टेयर, ग्राम–रेंगाकठेरा, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव में चाईना क्ले (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.28 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चाईना क्ले का अधिकतम उत्खनन 10,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनि""चत किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित

रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Govt	

			Middle School, Village- Rengakathera	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation	0.10
			Total	**0.50**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,700 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बढ़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 500 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में आने वाले वृक्षों की कटाई न की जाए। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। वृक्षों को काटे जाने की स्थिति में, काटे गये वृक्षों के 10 गुणा आम एवं अन्य फलदार पौधे स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर रोपित किये जायें तथा इनकी 3 वर्ष तक रख–रखाव की व्यवस्था कर ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा।

20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

23. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

24. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रमाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

25. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

27. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

29. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तो के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तो का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्ते जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तो की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

श्री अभय कुमार गर्ग, कसरेंगा सेण्ड माईन
को खसरा क्रमांक 430, कुल लीज क्षेत्र 2.02 हेक्टेयर, ग्राम–कसरेंगा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) में अहिरन नदी से रेत उत्खनन क्षमता 20,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 2.02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 20,200 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति

में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 20 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
19.59	2%	0.39	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Dhapdhap**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation	0.05
			Total	**0.40**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण निर्यंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तो के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों,

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

श्री अभिषेक साहू, एस–1, नमना सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 726 एवं 1193, कुल लीज क्षेत्र 4.98 हेक्टेयर में से 2.99 हेक्टेयर, ग्राम–नमना, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में अटेम नदी से रेत उत्खनन क्षमता 29,900 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 2.99 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 29,900 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

5. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 12 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 750 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
31.8	2%	0.63	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Namna**	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.15
			Total	**0.65**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉं सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यायरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नयीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–07

श्री अभिषेक साहू, एस–2, नमना सेण्ड माईन
को खसरा क्रमांक 727, 584 एवं 585, कुल लीज क्षेत्र 4.98 हेक्टेयर में से 4.018 हेक्टेयर, ग्राम–नमना, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में अटेम नदी से रेत उत्खनन क्षमता 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.018 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

5. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवे"ा प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 16 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 750 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Namna	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.15
			Total	**0.65**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तो के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्ते जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

श्री कौशलेन्द्र गुप्ता, एम–1, उमेशपुर सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 48 एवं 1414, कुल लीज क्षेत्र 4.98 हेक्टेयर में से 4.586 हैक्टेयर, ग्राम–उमेशपुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में गोबरी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.586 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

5. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड़ में भारी वाहनों का प्रवे"। प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 14 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 750 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
39.7	2%	0.78	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Umeshpur**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running water facility for Toilets	0.20
			Total	**0.80**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तो के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तो के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF M/S MASHIVA STEEL AND ALLOYS LLP FOR INDUCTION FURNACE WITH CCM (MS BILLETS / INGOTS) - 69,400 TPA TO 1,42,560 TPA (BY UPGRADATION OF EXISTING 2 X 10 T TO 2 X 12 T AND ESTABLISHMENT OF NEW 2 X 12 T INDUCTION FURNACES)

I. Statutory Compliance:

i. This environment clearence is being granted to the industry without prejudice to the proceeding pending (if any) in the Hon'ble Court. This environment clearence in no way to be taken as measure of proof that industry has not violated any laws at any time in past. Hence, what-ever decision taken by Hon'ble Court shall be binding on the industry.

ii. **The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).**

iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

v. The project proponent shall submit the approved wild life conservation plan for conservation of elephants found within 10 km radius from project area.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be upgraded / modified for installed in induction furnace(s) and new Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 30 mg/Nm^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In

the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31[st] March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

I. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be sold to slag crushing units. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 35% (0.97 ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.
ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public hearing and Human health issues

i. Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks / measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.
ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iv. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
500	1%	5.0	Following activities at Nearby 1. Government Middle School **Village-Tumidih**	
			Rain Water Harvesting System	1.65
			Potable Drinking Water Facility	0.25
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	**2.20**
			2. Government Primary School **Village-Tumidih**	
			Rain Water Harvesting System	0.65
			Potable Drinking Water Facility	0.75
			Running Water Facility for Toilets	0.35
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	**1.80**
			3. Government Primary Indira Awas School, **Village-Tumidih**	
			Rain Water Harvesting System	0.55
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.20
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	**1.00**
			Grand Total	**5.00**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and /

shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xliii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xliv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xviii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

श्री प्रवेश जैन, गढ़बेंगाल सेण्ड माईन
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 801, कुल लीज क्षेत्र 1.633 हेक्टेयर में से 1.135 हेक्टेयर, ग्राम–गढ़बेंगाल, तहसील व जिला–नारायणपुर (छ.ग.) में कुकुर नदी से रेत उत्खनन क्षमता 11,300 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 1.135 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 11,300 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

5. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Nearby Government Primary Health Care Center **Village- Garhbengal**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Total	**0.40**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

श्री सुदीप कुमार झा, ब्रेहबेड़ा सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 120, कुल लीज क्षेत्र 2.23 हेक्टेयर में से 1.287 हेक्टेयर, ग्राम–ब्रेहबेड़ा, तहसील व जिला–नारायणपुर (छ.ग.) में कुकुर नदी से रेत उत्खनन क्षमता 12,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हैक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 1.287 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 12,800 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

5. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government School Village- Brehbeda	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Total	**0.60**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनाँक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.